न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 48 / 2014

1 पूर्णमल पुत्र स्व. सेडूराम उम्र 63 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक।

1/1 सीता देवी पत्नी स्व. पूर्णमल उम्र 67 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/2 प्रदीप कुमार जांगिड़ पुत्र स्व. पूर्णमल उम्र 41 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/3 संदीप कुमार जांगिड़ पुत्र स्व. पूर्णमल उम्र 33 साल जाति जांगिड़ जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/4 नितिन कुमार जांगिड़ पुत्र स्व. पूर्णमल उम्र 26 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/5 पिंकी पुत्री स्व. पूर्णमल उम्र 30 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

2 जगदीश पुत्र स्व. सेडूराम उम्र 60 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

3 श्यामलाल पुत्र स्व. सेडूराम उम्र 57 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

4 भागीरथमल पुत्र स्व. सेडूराम उम्र 46 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

5 देवीदत्त पुत्र स्व. सेडूराम उम्र 44 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

6 विनोद पुत्र स्व. सेडूराम उम्र 36 साल जाति जांगिड़ पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 8 गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 जीवन पुत्र महमदा उर्फ मोहम्मदा जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.। मृतक
1/1 जेनम पत्नी जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/2 यूनूस पुत्र जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/3 शरीफ पुत्र जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/4 रफीक पुत्र जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/5 आरीफ पुत्र जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/6 तरीवा पुत्री जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/7 आसमीन पुत्री जीवन उम्र व्यस्क जाति मुसलमान व्यापारी (कसाई) उम्र 70 साल निवासी नवलगढ़ हाल इन्दिरा चौक इस्लामिया मदरसा के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
2 सब रजिस्ट्रार उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आदेश निर्णय आदेश 27.05.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी आरएएस राजस्व प्रार्थना पत्र 08/2014 उनवान पूर्णमल वगै. बनाम जीवन वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 1/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धारा 212 व आर्डन 39 रूल 1 व 2 धारा 151 सीपीसी बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 396 वाके ग्राम दुर्जनपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थन पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.05.2014 पारित करने से पूर्व विक्रय पत्र दिनांक 08.07.61 व गिरदावरी संवत 2018 व लगान की रसीद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

दिनांक 30.1.64, 08.01.62, 28.03.65 को ठीक प्रकार से कंसीडर नही कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा न मानकर तथा आवेदक अपीलांट का प्रथम दृष्टया मुकदमा ना मानकर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मुकदमा नहीं माना ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अपीलान्ट के पक्ष में माना है जबकि अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मुकदमा व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त आवेदकगण के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.01.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र में अंतरिम अदेश पारित किया है उक्त आदेश में विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र, गिरदावरी व लगान की रसीदो को कंसीडर किया है व निर्णय दिनांक 27.05.2014 में विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र गिरदावरी व लगान की रसीदों को कंसीडर ना कर कानूनी गलती की है। विवादित जमीन पर अपीलान्ट का पिछले 53 वर्षो से निरंतर रूप से बिना किसी बाधा के कब्जा है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थीगण खातेदार बनने के अधिकारी है इस महत्वपूर्ण तथ्य को कंसीडर ना कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। मुकदमें में जीवन का ना तो शपथ पत्र पेश किया गया है ना ही उसकी तरफ से जवाब पेश हुआ है बल्कि उसके मुख्तयार के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है। जीवन का स्वयं का शपथ पत्र पेश नहीं हुआ है। इसलिए जीवन द्वारा विक्रय का खण्डन नहीं हुआ है जबकि विक्रय पत्र का खण्डन करने का अधिकार केवल जीवन को है मुख्तयार को नहीं है इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर ना कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट असरदार व्यक्ति है वह येन केन प्रकारेण अपीलान्ट को बेदखल करना चाहते है यदि रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को बेदखल कर देते है तो अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी तथा उसका दावा व अपील पेश करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा इसलिए अपीलान्ट के प्रतिकूल कब्जे को यथावत रखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम दुर्जनपुरा संवत 2069–2072 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 0.91 हैक्टेयर की खातेदारी जीवन पुत्र मोहम्मद कोम कसाई सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2012 से 2015 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 425/2 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा की खातेदारी जीवन वल्द मोहम्मदा कोम कसाई सा.देह दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2016 से 2019, 2020 से 2023, 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032–2035 मुताबिक जमाबंदी संवत 2012 से 2015 के अनुसार खातेदारी जीवन वल्द मोहम्मद कोम कसाई के नाम से दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2044 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3029 रकबा 0.91 हैक्टेयर की खातेदारी जीवन पुत्र मोहम्मदा कोम कसाई सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2048–2051 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2659 रकबा 0.91 हैक्टेयर की खातेदारी जीवण पुत्र मोहम्मदा कोम कसाई सा.देह खा.दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 मुताबिक जमाबंदी संवत 2048–51 दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम दुर्जनपुरा संवत 2054–2057 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 0.91 हैक्टेयर की खातेदारी जीवन पुत्र मोहम्मद कोम कसाई सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी ग्राम दुर्जनपुरा संवत 2057–2060, 2061–2064, 2065–2068 मुताबिक जमाबंदी संवत 2054–2057 दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा नम्बर गिरदावरी ग्राम नवलगढ़ संवत 2009 में महमदा वल्द रहीमा कसाई, तथा संवत 2013, 2017 की गिरदावरी में जीवन वल्द महमदा कोम कसाई का अंकन दर्ज किया गया है। इसी प्रकार गिरदावरी संवत 2021 से 2035 में बदस्तुर साबिक का अंकन है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम दुर्जनपरा संवत 2017 से 2020 में संवत 2017 में जीवण सा. संवत 2018 में रामदेव पुत्र मोती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

खाती सा.देह तथा संवत 2019 से 2020 बदस्तुर सा. का अंकन किया गया है। इस संबंध में छाया प्रति लिखावट का भी अवलोकन किया गया जिसमें जीवण पुत्र महमदा व्यापारी कसाई द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 425/2 जमीन 2 बीघा 16 बिश्वा को 425 रूपये में रामदेव पुत्र मोतीराम को बेचना की है जिस पर अंगूठा निशानियां अंकित है परन्तु उक्त लिखावट केवल अपनी व्यक्तिगत लिखा पढ़ी है जो उप पंजियक कार्यालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नहीं होने के कारण विधिमान्य नहीं हो सकती है। इस संबंध में प्रस्तुत छाया प्रति नकल रसीद लगान दिनांक 08.01.62, 30.01.64, 12.01.63 में भूमिधारी का नाम जीवण पुत्र मोहम्मद कसाई तथा अदाकर्ता का नाम रामदेवा पुत्र मोतीराम का नाम का अंकन दर्ज किया गया है। उक्त राजस्व रिकार्ड, नकल खसरा गिरदावरियां, तथा रसीद लगान में खातेदार जीवण पुत्र मोहम्मद कसाई की खातेदारी सिद्ध है। इस स्थिति में खातेदारी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013(2) पेज 1164, डीएनजे 2011(3) एससी पेज 1058, आरआरटी 2013(1) पेज 133 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से दावा बाबत उद्घोषणा प्रस्तुत कर गत खसरा नम्बर 425/2 हाल खसरा नम्बर 396 अपीलांट के दादा रामदेव द्वारा दिनांक 08.07.1961 को क्रय करने का कथन किया है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के स्तर पर पत्रावली में संवत 2018 की गिरदावरी एवं लगान की रसीदें प्रस्तुत की गई है। इनके अनुसार संवत 2018 की गिरदावरी में रामदेव अपीलांट के दादा का नाम दर्ज है। इसी प्रकार दिनांक 30.01.1964, 08.01.62 एवं 28.03.65 की लगान की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रसीदे प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय को जारी करनी चाहिये थी। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला मूलवाद गत खसरा नम्बर 425/2 हाल खसरा नम्बर 391 रकबा 0.91 हैक्टेयर वाके ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का नवलगढ़ की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर